भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3631

उत्तर देने की तारीख : 24.03.2022

लाउडस्पीकरों के उपयोग हेतु एक समान कानून

3631. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मस्जिदों में कथित रूप से लाउडस्पीकरों के उपयोग से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है और क्या देश के सभी राज्यों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी हितधारकों और समुदाय के सदस्यों को विश्वास में लेकर सभी के व्यापक हित में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि इनसे मुख्य रूप से शहरों में मस्जिदों के आसपास के क्षेत्रों में असुविधा होती है और विघ्न पड़ता है; और

(ग) क्या बदलते समय और परम्पराओं के साथ सरकार का सभी राज्यों में लाउडस्पीकरों के उपयोग के संबंध में एक समान कानून है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने शोर पैदा और उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नियमन और नियंत्रण् के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), 2000 (ध्वनि नियमावली) को अधिसूचित किया है। ये नियम लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और ध्वनि उत्पादन प्रणाली आदि के उपयोग पर प्रतिबंध को नियंत्रित करते हैं। ध्वनि नियमावली को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट http://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/noise-pollution-rules-en.pdf पर देखा जा सकता है। इन नियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधिकारियों की है।

ध्वनि नियमों का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत एक दंडनीय अपराध है जिसमें पांच साल तक की कैद और 1 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

दिनांक 6 अगस्त, 2019 के आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 2018 के मूल आवेदन संख्या 681 के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिए थे:

".....मौजूदा उपकरणों को फिर से लगाने सहित संभावित ध्वनि प्रदूषण उपकरणों पर ध्वनि नियंत्रक लगाए जाने की जरूरत है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तीन महीने के भीतर उपयुक्त दिशा-निर्देश उसी तरीके से जारी किए जाएं जैसा कि इस न्यायाधिकरण द्वारा दिल्ली के लिए ओ.ए.सं. 519/2016, हरदीप सिंह एवं अन्य बनाम एसडीएमसी और अन्य....'' के मामले में दिनांक 01.08.2019 के आदेश द्वारा निर्देशित किया गया था।....."

*****